न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2024/ 6045

पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम, आरएएस

दिनांक 06/11/24

पार्थी

1 बालूराम उर्फ बाबुराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पदमाराम 2 मदनलाल पिसरान मेहराम 3 मदनराम पुत्र ताराराम 4 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 5 बगताराम पुत्र लुम्बाराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार 7 डूंगराराम 8 भामाराम पिसरान रेखाराम 9 [illegible] पुत्र इन्दाराम 10 भेराराम पुत्र जगराम 11 पेमाराम 12 [illegible] पुत्र नवलाराम के कायम मुकाम 12/1 शेम्भूराम 12/2 सीमाराम 12/3 मदन 12/4 विकमचंद 12/5 टीकमचंद 13 खेताराम पुत्र जुमताराम 14 जुमताराम पुत्र जानाराम 15 विरधाराम पुत्र जुमताराम 16 पुरखाराम पुत्र लाखाराम वगैराह निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 391/2024

दिनांक– 25.10.2024

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 834/750 रकबा 5.3418 हैक्टेयर व मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 139/110रकबा 2.7519 हैक्टेयर व मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 610/439 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 617/430 रकबा 2.3472 हैक्टेयर व खसरा संख्या 618/430 रकबा 4.6701 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2024/ 6046-49

दिनांक– 06/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी बालूराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पदमाराम पुत्र मेहराराम वगैराह निवासी नारणोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.26 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर